ACE/NO/Gen/24-25/030 28/9/2024

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(4)(33) छात्रवृति/पी.स.2024-25/ सान्याअवि/16301 दिनांक: 27.09.2024

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय/ मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/ राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/ अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) विद्यार्थियों से छात्रवृति आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन/ नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक पोर्टल प्रारम्भ किया जाता है।

उक्त ऑनलाईन आवेदन वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेईई ऐप अथवा मोबाईल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

DIPR/C/9312/24

NB/WB

28.9.24